रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 मई, 2005/17 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 6 मई, 2005

संख्या पी0 वी0 डब्ल्यू (ए) ए (3)–1/99.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24–4–97 द्वारा

अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता (सिविल) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियन्ता (सिविल) (वर्ग–I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियन्ता (सिविल) (वर्ग–I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "अ" में :—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"5 (पांच)"

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"18600–500–22100 रुपए"

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता;"

"शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकन्डमेन्ट आधार पर"

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), जिनकी राजपत्रित पद पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा, जिसके अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, में से प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर हिमाचल सरकार/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समरूप सेवा शर्तों पर समान वेतनमान में सदृश पद पर कार्यरत पदधारियों में से सेकन्डमेंन्ट आधार पर।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण .— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है/हैं जिसे/जिन्हें डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान

टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विस मैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ङ) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

(च) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 और समय–समय पर संशोधित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW(A)A(3)-1/99 Dated 6-5-2005 as required under clasue (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th May, 2005

No. PBW(A)A(3)-1/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Chief Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this Department notification of even number dated 24-4-1997, namely :—

1. *Short title and Commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Chief Engineer (Civil) (Class-I, Gazetted), Recruitment and Promotion (Frist amendment) Rules, 2005.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-"A".*— In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Chief Engineer (Civil) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997;

(*a*) For the existing provision against Col. No. 2, the following shall be substituted, namely :—

"5 (Five)"

(*b*) For the existing provision against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 18600-500-22100"

(*c*) For the existing Col. No. 10 and provision against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely :—

10.	"Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods".	"100% by promotion failing which on secondment basis".

(d) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the Superintending Engineers (Civil) with minimum 25 years' service in gazetted rank including three years' regular service or regular combined with continuous *adhoc* service as Superintending Engineer (Civil) failing which on secondment basis from amongst the incumbents working in the identical pay scale on analogous posts in other H. P. Government Departments/Central Government with similar service conditions.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and is accordance with the provision of the R & P Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(*e*) For the existing provision against Col. No. 16, the following shall be substituted, namely :—

"The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Secheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time".

(*f*) For the existing provision against Col. No. 17, the following shall be substituted, namely :—

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (PW).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित